

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(18)नविवि / पावटा—प्रागपुरा / 2022

जयपुर, दिनांक: ०३/०६/२०२२

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जौन, जयपुर को पावटा—प्रागपुरा (जिला जयपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष—2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी
1.	पावटा
2.	प्रागपुरा
3.	ललाना
4.	कूनेड़
5.	शिवनगर

राज्यपाल की आज्ञा से


31/6/2022

(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- जिला कलक्टर, जयपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जौन, जयपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पावटा—प्रागपुरा (जिला—जयपुर)।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रालंबी।

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय